भारत सरकारकार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)\* \* \*

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या ：707

（दिनांक 16.08.2012 को उत्तर के लिए）

सीबीआई में स्टाफ की कमी

**707. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीबीआई में पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी स्तरों पर स्टाफ की भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रतिष्ठित जांच एजेंसी के लिए पृथक संवर्ग का गठन करने पर विचार कर रही है ताकि यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष कराए जाने वाले अखिल भारतीय सेवा परीक्षा के वर्ग-I के घटकों में वार्षिक औसत आवश्यकता को सम्मिलित कराया जा सके; और

(ग) क्या प्रादेशिक पुलिस सेवाओं की तर्ज पर निरीक्षकों, उप निरीक्षकों इत्यादि के पदों के लिए एक समर्पित सीबीआई संवर्ग का गठन किया जा सकता है ?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वे. नारायणसामी)**

(क) : रिक्तियों का होना और अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार उनको भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है । कुछ वर्षों में केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्यूरो के विभिन्न रैंकों में संस्वीकृत पद संख्या में वृद्धि के कारण रिक्तियों में भी वृद्धि हो गई है । दिनांक 1.1.2008 से आज तक की स्थिति के अनुसार केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्यूरो में रिक्तियों की तुलना में संस्वीकृत पद संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित अनुसार है :-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **की स्थिति के अनुसार** | **संस्वीकृत पद संख्या** | **रिक्ति** |
| 01.01.2008 | 5959 | 1336 |
| 01.01.2009 | 5960 | 1086 |
| 01.01.2010 | 5961 | 719 |
| 01.01.2011 | 6526 | 1379 |
| 01.01.2012 | 6590 | 924 |
| 01.08.2012 | 6596 | 806 |

(ख) : जी, नहीं ।

(ग) : केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्यूरो का अपना पृथक संवर्ग है जिसमें कर्मचारी चयन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती हुए अधिकारियों की तैनाती की जाती है । तथापि, राज्य पुलिस सेवाओं की तर्ज पर केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्यूरो का पृथक संवर्ग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

\* \* \* \* \*

**अनुबन्ध**

**"आईएएस के रिक्त पदों" के संबंध में 16.8.2012 को उत्तर के लिए, श्रीमती जया बच्चन द्वारा पूछे गए राज्य सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 713 के भाग (ख) के जवाब में उल्लिखित अनुबंध**

**1.1.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में संवर्ग अंतराल**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं** | **संवर्ग** | **कुल प्राधिकृत संख्या** | **1.1.2012 को कुल तैनात अधिकारी** | **कमी (3-4)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 376 | 284 | 92 |
| 2 | एजीएमयूटी | 337 | 221 | 116 |
| 3 | असम-मेघालय | 248 | 205 | 43 |
| 4 | बिहार | 326 | 198 | 128 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 178 | 124 | 54 |
| 6 | गुजरात | 260 | 208 | 52 |
| 7 | हरियाणा | 205 | 178 | 27 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 129 | 101 | 28 |
| 9 | जम्मू-कश्मीर | 137 | 91 | 46 |
| 10 | झारखण्ड | 208 | 108 | 100 |
| 11 | कर्नाटक | 299 | 219 | 80 |
| 12 | केरल | 214 | 158 | 56 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 417 | 299 | 118 |
| 14 | महाराष्ट्र | 350 | 295 | 55 |
| 15 | मणिपुर-त्रिपुरा | 207 | 137 | 70 |
| 16 | नागालैण्ड | 91 | 52 | 39 |
| 17 | ओडीसा | 226 | 148 | 78 |
| 18 | पंजाब | 221 | 161 | 60 |
| 19 | राजस्थान | 296 | 184 | 112 |
| 20 | सिक्किम | 48 | 33 | 15 |
| 21 | तमिलनाडु | 355 | 286 | 69 |
| 22 | उत्तराखण्ड | 120 | 84 | 36 |
| 23 | उत्तर प्रदेश | 592 | 376 | 216 |
| 24 | पश्चिम बंगाल | 314 | 227 | 87 |
|  | कुल | 6154 | 4377 | 1777 |